ग्राम पंचायत बधानी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर, 177023
के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025

भाग-1

1. **प्रस्तावना:-**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बधानी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत बधानी में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री विनोद कुमार	01.04.2024 से 31.03.2025

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री अजय कुमार	01.04.2024 से 31.03.2025

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत बधानी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के लेखों अवधि 01.04.24 से 31.03.25 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	6.1	अनुदानों का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	6.91
2	7.3	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.01
3	8.1	आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई खनन निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना अनियमित भुगतान करना	12.02
4	8.2	संविदाकार/आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान करना	0.31
5	9.1	पत्थर की खरीद में रिक्तियां (voids) की कटौती न करना	0.07
6	9.2	मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत करवाए गये निर्माण कार्य हेतु अधिक/अनियमित भुगतान करना	0.03
7	9.3	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना शीर्ष के अंतर्गत करवाए गये निर्माण कार्य हेतु बिना बिलों के भुगतान करना	0.43
8	9.4	औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	2.56
9	9.5	माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	6.71

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः-

ग्राम पंचायत बधानी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों के लिए अधियाचना संख्या 60/2025 दिनांक 19.05.2025 के प्रत्युतर में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अवगत करवाया कि हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला द्वारा ग्राम पंचायत बधानी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर का यह **प्रथम** अंकेक्षण है।

भाग-2

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत बधानी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री अमित कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक और श्री पुनीत कुमार (आर्टिकल सहायक) द्वारा दिनांक 19.05.2025 से 21.05.2025 तक ग्राम पंचायत बधानी के कार्यालय में किया गया। आय-व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2024-25	03/2025	06/2024

अस्वीकरण (Disclaimer) :- *इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।*

3. अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत बधानी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹4800/-** (15वें वित्तायोग के अवधि 04/2024 से 03/2025 तक के ऑनलाईन ऑडिट के अंकेक्षण शुल्क सहित) आंका गया। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 65/2025 दिनांक 21/05/2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा काँगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक सीमित, टौणी देवी, हमीरपुर के DD NO – KAA 275661 दिनांक 21.05.2025, द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया है।

4. वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत बधानी, द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 60/2025 दिनांक 19.05.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 के लेखों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट-1** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान (8) **ऑनलाइन** रोकड़ बहियों अर्थात स्व:स्त्रोत, अनुदान (प्लानिंग), 3वे वित्तायोग, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना(VKVNY), राज्य आपदा राहत कोष SDRF, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान RGSA, 15वें वित्तायोग व मनरेगा शीर्ष का रख-रखाव किया गया था।

(1) (क) स्व: स्त्रोत :-

ग्राम पंचायत बधानी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक की स्व: स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (2+3) (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (4-5) (₹)
1	2	3	4	5	7
2024-25	399043.58	84676.00	483719.58	85365.00	**398354.58**

(ख) 15वें वित्तायोग अनुदान :-

ग्राम पंचायत बधानी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के 15वें वित्तायोग की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (2+3) (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (4-5) (₹)
1	2	3	4	5	7
2024-25	766633.60	1231316.00	1997949.60	578958.00	**1418991.60**

(ग) अन्य अनुदान :-

ग्राम पंचायत बधानी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के अनुदान की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (2+3) (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (4-5) (₹)
1	2	3	4	5	7
2024-25	1102855.14	4596845.24	5699700.38	5008269.24	691431.14

(घ) संकलित वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत बधानी, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के संकलित वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

निधि	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अंत शेष (₹)
स्वः स्त्रोत निधि	2024-25	399043.58	84676.00	483719.58	85365.00	398354.58
15वां वितायोग शीर्ष	2024-25	766633.60	1231316.00	1997949.60	578958.00	1418991.60
अन्य अनुदान	2024-25	1102855.14	4596845.24	5699700.38	5008269.24	691431.14
संकलित वित्तीय स्थिति	2024-25	2268532.32	5912837.24	8181369.56	5672592.24	**2508777.32**

(2) दिनांक 31.03.25 को ग्राम पंचायत बधानी, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर के बैंक शेषों के अंत शेष का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	बैंक का नाम	खाता नंबर	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत	के सी सी बैंक टौणी देवी	20089006147	397521.58
2	अनुदान (प्लानिंग) व 3वें वित्तायोग	पंजाब नेशनल बैंक डोह	2448000100808957	451913.59
3	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना VKVNY	पंजाब नेशनल बैंक डोह	2448000100817195	141403.48
4	राज्य आपदा राहत कोष SDRF	पंजाब नेशनल बैंक डोह	2448000100817177	79691.07
5	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान RGSA	इंडस बैंक हमीरपुर	100167373303	18423.00
6	15 वें वितायोग	हि प्र ग्रा बैंक बधानी	99670100001352	1418991.60
कुल योग				**2507944.32**

(3) दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी पंचायत की वितीय स्थिति अनुसार :-

1	स्व: स्त्रोत की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	398354.58
2	15वें वितायोग की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	1418991.60
3	अनुदान की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम	691431.14
4	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का **कुल** अंतिम शेष	2508777.32
5	दिनांक 31.03.2025 को स्व: स्त्रोत निधि में **हस्तगत राशि (घटाव)**	833.00
6	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का अंतिम शेष	2507944.32
7	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	2507944.32
अंतर		**0.00**

5. सावधिक निवेश :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास पंचायत निधि (स्व: स्त्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 60/2025 दिनाँक 19.05.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में

प्रतिउत्तर पत्र संख्या 06 दिनांक 21.05.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत का अवधि 04/24 से 03/25 के दौरान सावधि जमा योजना में निवेश **शून्य** है |

अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्व: स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बही का नियमानुसार रख-रखाव करके, स्व: स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके तथा निवेश की स्थिति में हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 12 (1) के प्रारूप (1) में निर्धारित निवेश रजिस्टर का रख-रखाव करते हुये कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹6.91 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली, 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिंग एजेन्सी की अपेक्षाओं व मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 60/2025 दिनाँक 19.05.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट-1** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹**691431.14 की राशि उपयोग हेतू शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 60/2025 दिनाँक 19.05.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या 06 दिनांक 21.05.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न कर पाने के कारणों को तथ्यों सहित स्पष्ट करते हुए नियमानुसार उक्त शेष राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है |

अंकेक्षण के दौरान प्राप्त विभिन्न अनुदानों के व्यय सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं किये गए, फलस्वरूप अंकेक्षणावधि में कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 60/2025 दिनाँक 19.05.2025 के प्रतिउत्तर की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 06 दिनांक 21.05.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही /अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति अंकेक्षणार्थ उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार सचिव, ग्राम पंचायत अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार है तथा सचिव, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० शिमला-9 के पत्र संख्या पीसीएच –एच ए (5)सी (15)313/89-4614 -4787 दिनांक 25.04.2007 के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों को सम्बन्धित विकास खण्ड अधिकारी व अन्य स्वीकृति एजेन्सी द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई राशियों के स्वीकृति पत्र उपलब्ध करवाएगी ताकि अंकेक्षण के समय सुनिश्चित कर सके कि धन राशि सम्बन्धित स्कीम पर ही खर्च की जा रही है। किन्तु अंकेक्षण के दौरान अनुदान आदेश/स्वीकृति पत्र अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं किये गए।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 60/2025 दिनाँक 19.05.2025 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 06 दिनांक 21.05.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है । यह एक अनुचित प्रक्रिया है, क्योंकि लिखित रूप में

अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता |

अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे एवं प्राप्त अनुदान राशि सम्बन्धित स्कीम पर खर्च की गई थी अथवा नहीं ?

अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । इसके अतिरिक्त यह प्रकरण उक्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है।

7. पंचायत राजस्व

7.1 पंचायत का गृहकर/ सम्पत्ति कर शेष:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को गृहकर/ सम्पत्ति कर की वसूली करना अपेक्षित है तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, वजट) नियम 2002 के नियम 34 (2) के प्रावधानानुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 60/2025 दिनांक 19.05.2025 के प्रतिउत्तर में सलंग्न **परिशिष्ट-2** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि 31.03.2025 तक पंचायत का गृहकर/सम्पत्तिकर वसूली हेतु शेष राशि नहीं थी।

अतः भविष्य में भी इस अच्छी कार्य प्रणाली को बनाये रखने/पंचायत राजस्व की नियमित वसूली करने का प्रयास किया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.004 लाख की वसूली न करना:-

"हिमाचल प्रदेश सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के प्रावधानानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे प्राप्त करने के उपरान्त हि०प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित आय लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है"।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों से ₹400/- की वसूली नहीं की गई थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट -3** पर दिया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 64/2025 दिनांक 20.05.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 06 दिनांक 21.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूली गई राशि की वसूली करके उक्त राशि के जमा व इन्द्राज वारे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्ति व इन्द्राज सम्बन्धी अभिलेख से अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.01 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना:-

"हिमाचल प्रदेश सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या- SJE-A-A-(3)- 1/2015 दिनांक 04.10.16 के प्रावधानानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे प्राप्त करने के उपरान्त हि०प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित आय लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है"।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि **₹1000**/- को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण सलंग्न **परिशिष्ट-3** में दिया गया है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 64/2025 दिनांक 20.05.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 06 दिनांक 21.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि उक्त पत्र में वर्णित विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹1000/- जिसे राजकीय कोष में जमा करवाकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

अतः अंकेक्षण को दिए आश्वासन के दृष्टिगत कृत अनुपालना सम्बन्धी अभिलेख से अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

8. व्यय

8.1 खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना राशि ₹12.02 लाख का अनियमित भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व

माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स ई.एन. (आर.डी.एवं पी. आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि० प्र० की अनुपालना में अब ठेकेदार / विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा।

अंकेक्षण अवधि 04/2024 से 03/2025 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण सामग्री रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि के बिलों के साथ उक्त फार्म सलंग्न नहीं थे। परिणामस्वरुप आपूर्तिकर्ताओं को **परिशिष्ट- 4** अनुसार राशि ₹1202100/- का अनियमित भुगतान किया गया था।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 64/2025 दिनांक 20/05/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 06 दिनांक 21.05.2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण उक्त ट्रांजिट पास फार्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फार्म एक्स सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से नहीं लिए गए हैं, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार लेकर ही भुगतान किया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को किया गया सम्पूर्ण भुगतान नियमों, समय-2 पर जारी विभागीय दिशा-निर्देशों के विपरीत एवं अनियमित प्रतीत होता है |

अत: उक्त राशि के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अथवा इस प्रकरण को सम्बंधित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.2 संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर जी. एस. टी. टी. डी.एस. की कटौती न करने के कारण ₹0.31 लाख का अधिक भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति,

फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एकल अनुबंध के अन्तर्गत ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. +1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति हेतु सलंग्न **परिशिष्ट-5** अनुसार राशि ₹1555424/- (जी.एस.टी. को छोड़कर) का भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर राशि ₹31108.48 की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 64/2025 दिनांक 20/05/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 06 दिनांक 21/05/2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित आपूर्तिकर्ताओं से सामग्री की आपूर्ति करने पर नियमानुसार बनती जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नही की गई है, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा तथा इसकी वसूली सम्बन्धित से करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगीं | प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: अंकेक्षण अवधि के दौरान जी.एस.टी.(टी.डी.एस.). की कटौती न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए, अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा नियमानुसार देय अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

9.1 पत्थर की खरीद में रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के कारण ₹0.07 लाख का अधिक भुगतान करना:-

हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्कस स्पेसिफिकेशन अध्याय-2 के पैरा 2.1.2.13 के अनुसार बजरी की आपूर्ति पर 6 एम.एम. से लेकर 20 एम.एम. तक 5% व 25 एम.एम. से लेकर 40 एम.एम. तक 10% तथा पत्थरों की आपूर्ति पर 63 एम.एम. से लेकर 75 एम.एम. तक 12.5% की दर से रिक्तियों (Voids) की कटौती उपरान्त भुगतान किया जाना अपेक्षित है |

अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा पत्थरों (stones) की खरीद हेतु सलंग्न **परिशिष्ट-6** अनुसार राशि ₹54600/- का कुल भुगतान किया गया था, लेकिन आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व रिक्तियां (Voides) की कटौती न करने के कारण राशि ₹6825/- का अधिक भुगतान किया गया था।

ग्राम पंचायत द्वारा अधिक एवं गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 64/2025 दिनांक 20/05/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र 06 दिनांक 21.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि उक्त पत्र में वर्णित पत्थर (stone) की खरीद पर रिक्तियों (voids) की कटौती नहीं की गई है, लेकिन इसके भुगतान की वसूली करने उपरान्त पंचायत निधि में जमा करवा दिया जायेगा।

अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के फलस्वरूप की गई अधिक भुगतान राशि के जमा व इन्द्राज उपरान्त अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा ऐसे मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु निर्माण कार्यों की नमूना जांच एवं सत्यापना नियमांनुसार उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा की/करवाई जानी भी सुनिश्चित की जाए।

9.2 मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत करवाए गये निर्माण कार्य हेतु राशि ₹0.03 लाख का अधिक /अनियमित भुगतान करना:-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 44 के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत के प्रधान और सम्बद्ध सचिव द्वारा निधि से व्यय उपगत या प्राधिकृत करते समय वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों को प्रत्येक स्तर पर कड़ी मितव्ययिता के साथ अनुपालन करना अपेक्षित है"।

अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 हेतु चयनित माह 06/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि सलंग्न **परिशिष्ट-7** अनुसार राशि ₹3281/- का टाइल्स के कार्य के रूप में ग्राम पंचायत द्वारा अनियमित/अधिक भुगतान किया गया था।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 64/2025 दिनांक 20/05/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 06 दिनांक 21/05/2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अधिक भुगतान की वसूली करके आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत किये गए अधिक भुगतान की वसूली संबन्धित से करके अंकेक्षण में अपेक्षित अभिलेख सत्यापनार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित

किया जाये तथा ऐसे मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु निर्माण कार्यों की नमूना जांच एवं सत्यापन नियमानुसार उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा की जानी भी सुनिश्चित की जाए।

9.3 विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना शीर्ष के अंतर्गत करवाए गये निर्माण कार्य हेतु बिना बिलों के राशि ₹0.43 लाख भुगतान करना:-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 47, 48 और 61 के अनुसार आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी भी आपूर्ति के भुगतान की मांग बिलों पर ही पेश की जानी निर्धारित है तथा लेखों का सही वर्गीकरण पूरी और सही विशिष्टियाँ बताने वाले वाउचर द्वारा ही किया जाना अपेक्षित है "।

अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के चयनित माह 06/2024 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना शीर्ष के अंतर्गत निर्माण कार्यों हेतु बिजली के काम व मजदूरी के व्यय हेतु सलंग्न **परिशिष्ट-8** अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता को बिना बिलों के राशि ₹42600/- का भुगतान किया गया था, उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 64/2025 दिनांक 20.05.2025 के अन्तर्गत सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया।

प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 06 दिनांक 21/05/2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित बिना बिलों के भुगतान के बिल लेकर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः बिना बिलों के आपूर्तिकर्ता को अदायगी करने का नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से बिल प्राप्त करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए अन्यथा असमर्थित भुगतान की उचित स्रोत से वसूली कर कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.4 राशि ₹2.56 लाख की औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं" |

अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के दौरान चयनित मास 06/2024 में सलंग्न **परिशिष्ट-9** अनुसार पंचायत द्वारा राशि ₹256329/- की सामग्री का क्रय निविदाएँ (Quotations) आमंत्रित किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 64/2025 दिनांक 20/05/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 06 दिनांक 21/05/2025 द्वारा स्पष्ट किया कि "उक्त पत्र में वर्णित औपचारिकताओं को पूर्ण करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा । प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः औपचारिकताओं को पूर्ण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये व भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुए नियमानुसार ही स्टोर/स्टॉक का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.5 राशि ₹6.71 लाख के व्यय के समर्थन में माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को वांछित सुसंगत अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार होगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित मास 06/2024 हेतु सलंग्न **परिशिष्ट-10** अनुसार कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों के अन्तर्गत राशि **₹671438/-** का भुगतान किया गया था, जिसके सन्दर्भ में अधियाचना संख्या 64/2025 दिनांक 20/05/2025 द्वारा माप पुस्तिकाएं सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

सचिव द्वारा पत्र 06 दिनांक 21/05/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त पत्र में वर्णित माप पुस्तिकाओं को अगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना गम्भीर आपत्तिजनक है | परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जांच नहीं हो सकी |

अतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(2)(iii) की अनुपालना सहित अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाए।

9.6 राशि ₹0.06 लाख का नगद भुगतान करना:-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 के प्रावधानानुसार सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री के क्रय के लिए प्रदायक को किए जाने वाले संदाय केवल क्रॉस-चैक द्वारा ही किए जाएँगे"।

अंकेक्षण अवधि अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के दौरान सलंग्न **परिशिष्ट-11** अनुसार पंचायत द्वारा राशि ₹5677/- की सामग्री का क्रय का भुगतान नगद (कैश) किया गया था।

जिसके सन्दर्भ में अधियाचना संख्या 64/2025 दिनांक 20/05/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को अवगत करवाया गया जिसके प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 06 दिनांक 21/05/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नगद भुगतान को भविष्य में नहीं किया जाएगा।

अत: ग्राम पंचायत द्वारा नगद भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा नगद भुगतान पर अंकुश लगाने हेतु विभाग द्वारा ठोस कदम उठाए जाये।

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख / रजिस्टरों का अनुसरण करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान अधियाचना संख्या 60 दिनांक 19.05.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसारअभिलेख/रजिस्टरों को प्रस्तुत करने की मांग की गई, लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक अभिलेख/रजिस्टरों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार लेखांकन प्रक्रिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के रिसन (Leakage) दुर्विनियोजन अथवा दुरुपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है जोकि अनियमित व आपतिजनक है।

हि०प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002			
क्रम संख्या	**रजिस्टर / अभिलेख**	**फार्म संख्या**	**संदर्भित नियम**
1	निवेश रजिस्टर	1	12(1)
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33
4	बजट प्राकलन	11	37
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
6	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
7	गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो से सम्बंधित अभिलेख रजिस्टर	30	89
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103

10	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर	--	101 (2) (v)
हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य)नियम 1997			
1	रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर	2	34
2	विकास कार्य निष्पादन रजिस्टर	7	34
3	अनुदान रजिस्टर	8	34
4	अचल संपत्ति रजिस्टर	11	34

अधियाचना संख्या 60 दिनांक 19.05.2025 के प्रतिउतर में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अपने पत्र 06 दिनांक 21/05/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों/ अभिलेख का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में सभी रजिस्टरों को तैयार कर लिया जाएगा और अंकेक्षण को भी अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए|

11 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के स्टोर/स्टॉक का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है|

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल के तहत खरीदी गई सामग्री की तिथि विशेष को भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 60/2025 दिनांक 19/05/2025 की अनुपालना में पत्र संख्या 06 दिनांक 21/05/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 तक स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है जिसे भविष्य में नियमानुसार सत्यापित करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उतर तथ्य रहित होने के कारण मान्य नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये गए स्टोर / स्टॉक के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की संभावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाकर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 लघु आपत्ति विवरणिका:-

इसे अलग से जारी नहीं किया गया है अपितु समय-2 पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं/नियम प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुये छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

13 **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार और ठोस कदम उठाने की नितान्त आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

का0/प्राप्ति

01 AUG 2025

5061-5065

पृष्ठांकन संख्या:– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)129/2025 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत बधानी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

01 AUG 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

का0/प्राप्ति

परिशिष्ट 1 पैरा संख्या 4 में संदर्भित
ग्राम पंचायत बधानी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, 177601
वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

स्व: स्त्रोत :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1	2024-25	399043.58	84676.00	483719.58	85365.00	398354.58

15 वें वित्तायोग :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1	2024-25	766633.60	1231316.00	1997949.60	578958.00	1418991.60

अनुदान :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1	2024-25	1102855.14	4596845.24	5699700.38	5008269.24	691431.14

संकलित वित्तीय स्थिति :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1	2024-25	2268532.32	5912837.24	8181369.56	5672592.24	2508777.32

Diff	833.00

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Badhani
Block Bamsan Tauni Devi
Distt. Hamirpur (H.P.)

परिशिष्ट 11 पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत बधानी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, 177601

वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

क्रमांक संख्या	विवरण	आरंभिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	शेष राशि (₹)
1	स्वः स्त्रोत	399043.58	84676.00	483719.58	85365.00	398354.58
2	अनुदान (प्लानिंग)	393818.00	454914.00	848732.00	403650.00	445082.00
3	3 वें वित्तायोग	6831.59	0.00	6831.59	0.00	6831.59
4	विधायक क्षेत्र विकास योजना VKVNY	583361.48	193093.00	776454.48	635051.00	141403.48
5	राज्य आपदा राहत कोष SDRF	100998.07	2735.00	103733.07	24042.00	79691.07
6	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान RGSA	17846.00	577.00	18423.00	0.00	18423.00
7	15 वें वितायोग	766633.60	1231316.00	1997949.60	578958.00	1418991.60
8	मनरेगा	0.00	3945526.24	3945526.24	3945526.24	0.00
कुल योग		**2268532.32**	**5912837.24**	**8181369.56**	**5672592.24**	**2508777.32**

20

18

परिशिष्ट 1.2 पैरा संख्या 4 में सदर्भित

ग्राम पंचायत बधानी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, 177601				
दिनांक 31.03.25 को बैंक का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-				
क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत	के सी सी बैंक टौणी देवी	20089006147	397521.58
2	अनुदान (प्लानिंग) व 3वें वित्तायोग	पंजाब नेशनल बैंक डोह	2448000100808950	451913.59
4	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना VKVNY	पंजाब नेशनल बैंक डोह	2448000100817195	141403.48
5	राज्य आपदा राहत कोष SDRF	पंजाब नेशनल बैंक डोह	2448000100817170	79691.07
6	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान RGSA	इंडस बैंक हमीरपुर	100167373303	18423.00
7	15 वें वितायोग	हि प्र ग्रा बैंक बधानी	99670100001352	1418991.60
कुल योग				**2507944.32**

परिशिष्ट 1.3 पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत बधानी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, 177601

दिनांक 31.03.25 को बैंकों व रोकड़ बहियों के अंतशेष के अंतर का विवरण निम्नानुसार है:-

1	2	3	4	5	7		9
क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	खाता संख्या	खाता नंबर	बैंक खातों का अंत शेष राशि (₹)	रोकड़ बहियों का अंत शेष (₹)	हस्तगत राशि (₹)	अंतर (₹)
1	स्व: स्त्रोत	के सी सी बैंक टौणी देवी	20089006147	397521.58	398354.58	833.00	**833.00**
2	अनुदान (प्लानिंग) व 3वें वित्तायोग	पंजाब नेशनल बैंक डोह	2448000100808950	451913.59	451913.59	0.00	**0.00**
3	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना VKVNY	पंजाब नेशनल बैंक डोह	2448000100817195	141403.48	141403.48	0.00	**0.00**
4	राज्य आपदा राहत कोष SDRF	पंजाब नेशनल बैंक डोह	2448000100817177	79691.07	79691.07	0.00	**0.00**
5	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान RGSA	इंडस बैंक हमीरपुर	100167373303	18423.00	18423.00	0.00	**0.00**
6	15 वें वितायोग	हि प्र ग्रा बैंक बधानी	99670100001352	1418991.60	1418991.60	0.00	**0.00**
	कुल योग			**2507944.32**	**2508777.32**	**833.00**	**833.00**

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Badhani
Block Bamsan Tauni Devi
Distt. Hamirpur (H.P)

22

परिशिष्ट 1.4 पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत बधानी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, 177601		
दिनांक 31.03.2025 को वितीय स्थिति का अंत शेष		
1	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का अंतिम शेष	2508777.32
2	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	2507944.32
अन्तर		**833.00**

दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी		
1	स्व: स्त्रोत की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	398354.58
2	अनुदान की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	691431.14
3	15वें वितायोग की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	1418991.60
4	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का **कुल** अंतिम शेष	**2508777.32**
5	**दिनांक 31.03.2025 को स्व: स्त्रोत निधि में हस्तगत राशि (घटाव)**	**833.00**
6	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का अंतिम शेष	**2507944.32**
7	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	**2507944.32**
अंतर		**0.00**

(22)

परिशिष्ट 2 पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत बधाणी, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर

(01.04.2024 से 31.03.2025)

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक **गृह कर** की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2024-2025	0	651	50	32550	32550	32550	**0**

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Badhani
Block Bamsan Tauni Devi
Distt. Hamirpur (H.P)

परिशिष्ट 3 पैरा संख्या 7.2 में संदर्भित							
ग्राम पंचायत बधानी, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर							
(विवाह पंजीकरण सूचि) (01.04.2024 से 31.03.2025)							
क्रम संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	देय राशी (₹)	प्राप्त राशि (₹)	बकाया राशी (₹)
1	Saurav s/o Sh.Surjeet Singh vill Badhani	05.08.2024	29.08.2024	-	200	0	200
2	Dinesh s/o Sh.Parkash Thakur vill Doh	21.10.2024	19.11.2024	512465	200	200	0
3	Vivak s/o Sh.Raj Kumar vill Doh	24.10.2024	19.11.2024	-	200	0	200
4	Surender Kumar s/o Sh.Raj Kumar vill Doh	21.11.2024	27.12.2024	512467	400	400	0
Total					1000	600	400

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Badhani
Block Bamsan Tauni Devi
Distt. Hamirpur (H.P)

परिशिष्ट 4 पैरा संख्या 8.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत बधानी, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर

आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना भुगतान करने बारे (01.04.2024 से 31.03.2025)

क्रम संख्या	निधि	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	विक्रेता का नाम व पता	सामग्री	मात्रा cum	कुल भुगतान राशि
1	MNREGA	CONSTT SARAYE BHAWAN NEAR RAVI DASS TEMPLE BADHANI VILL BADHANI PHASE 1	544	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	AGG	5.96	8947.00
2	MNREGA	C/O SARAI BHAWAN,BTHROOM AND TOILET NEAR SHIV SHAKTI MANDIR IN VILLAGE DOH WITH MNREGA CONVERGENCE	545	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	AGG	12	18000.00
					SAND	6	9300.00
			548		AGG	4.4	6600.00
3	MNREGA	C/O PPC CRATE WIRE GANGA RAM FIELD TO MANOHAR LAL FIELD VILL BADHANI	538	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	AGG	24.9	37355.00
			539		SAND	14.87	23061.00
4	MNREGA	C/O COW SHED SURESH KUMAR S/O DINA NATH VILL DOH 4	585	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	SAND	5.65	8742.00
5	MNREGA	C/O P/WALL JOGINDER SINGH S/O SITA RAM VILL JIJWIN 1	554	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	AGG	5.65	8475.00
					SAND	4.33	6723.00
6	MNREGA	C/O P/WALL KRISHANI DEVI W/O RABHDYAL VILL DALALAR	580	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	AGG	5	7500.00
					SAND	4.96	7698.00
7	MNREGA	C/O P/WALL SAVITA DEVI W/O NARESH KUMAR VILL JIJWIN 2	26	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	AGG	3.42	5130.00
			29		SAND	3.12	4836.00
			33		AGG	3.42	5130.00
8	MNREGA	C/O P/WALL PAWAN KUMAR S/O GARIB DASS VILL DOH 4	555	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	AGG	5.65	8475.00
					SAND	4.35	6757.00
9	MNREGA	C/O R/WALL PRITHI CHAND S/O BHAGTU RAM VILL DALALAR	13	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	AGG	3.42	5130.00
			10		AGG	3.42	5130.00
			5		SAND	3.12	4836.00
10	MNREGA	C/O P/WALL RAJU RAM S/O SITA RAM VILL GADOLA	556	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	AGG	5.65	8475.00
					SAND	4.35	6757.00
11	MNREGA	C/O P/WALL SITA RAM S/O TOLO RAM VILL GADOLA	562	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	AGG	5.65	8475.00
					SAND	4.35	6757.00
12	MNREGA	C/O P/WALL GIAN CHAND S/O JINDU RAM VILL GADOLA	48	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	AGG	3.42	5130.00
			30		SAND	3.12	4836.00
			25		AGG	3.42	5130.00
13	MNREGA	C/O P/WALL DHYAN SINGH S/O AMAR SINGH VILL GADOLA	563	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	AGG	5.65	8475.00
					SAND	4.35	6757.00
14	MNREGA	C/O P/WALL SHAKUNTLA DEVI S/O MILKHI RAM VILL GADOLA	565	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	AGG	5.65	8475.00
					SAND	4.27	6627.00
15	MNREGA	C/O P/WALL SURESH KUMAR S/O AMAR SINGH GADOLA	579	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	SAND	5	7750.00
			557		AGG	5	7500.00
16	MNREGA	C/O P/WALL HEM RAJ S/O BHAGAT RAM VILL JIJWIN 2	583	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	AGG	5	7500.00
			582		SAND	5	7703.00
17	MNREGA	C/O P/WALL SANTOSH KUMAR S/O KANSHI RAM VILL DALALAR	586	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	AGG	5	7500.00
					SAND	5	7735.00
18	MNREGA	C/O P/WALL PRITHI CHAND S/O KANSHI RAM VILL DALALAR	6	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	AGG	3.42	5130.00
			7		SAND	3.12	4836.00
			8		AGG	3.42	5130.00
19	MNREGA	C/O P/WALL JAGRUP SINGH S/O SARVA RAM VILL DOH	578	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	AGG	4.98	7480.00
			577		SAND	4.93	7650.00
20	MNREGA	C/O P/WALL GARIB DASS S/O LOUKA RAM VILL DOH	581	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	AGG	5	7500.00
					SAND	5	7750.00
21	MNREGA	C/O P/WALL RAKESH KUMAR S/O SITA RAM DALALAR	31	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	AGG	3.48	5220.00
			24		AGG	3.42	5130.00

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Badhani
Block ... Devi
Distt ... H.P

22	MNREGA	C/O COW SHED BANSHI RAM S/O BHAGAT RAM VILL DOH	34	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	SAND	3.12	4836.00
			522		AGG	6	8940.00
			525		SAND	6	9238.00
23	MNREGA	C/O P/WALL NASIB CHAND S/O ROOP LAL BADHANI	568	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	SAND	4.36	6758.00
			567		AGG	5.65	8475.00
24	MNREGA	C/O COW SHED DALIP SINGH S/O HARIYA RAM DALALAR	19	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	AGG	4.13	6195.00
			22		AGG	3.42	5130.00
			18		SAND	3.75	5797.00
25	MNREGA	C/O P/WALL ASHOK KUMAR S/O DUNI CHAND VILL DOH	3	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	SAND	3.12	4836.00
			15		AGG	3.42	5130.00
			14		AGG	3.42	5130.00
26	MNREGA	C/O PATH WITH PAVER BLOCK LINK ROAD TO SURAT RAM HOUSE DALALAR	535	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	SAND	4	6200.00
			535		AGG	1.74	16114.00
27	MNREGA	C/O LINK ROAD TO PAVER BLOCK BHAG SINGH HOUSE TO AANGANWADI DALALAR	558	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	AGG	5.65	8475.00
			564		AGG	5.65	8475.00
			584		AGG	5	7500.00
			591		AGG	15	22500.00
			592		SAND	15	23250.00
28	MNREGA	C/O LINK ROAD MANGO TREE TO SUDAMA RAM HOUSE GADOLA	530	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	SAND	5	7750.00
			532		CUT STONE	18	18900.00
			531		AGG	12	18000.00
			507		AGG	6	9000.00
			507		SAND	5.54	8600.00
29	MNREGA	C/O PATH WITH PAVER BLOCK HANDPUMP TO RAJNDER KUMAR FIELD SIDE VILL BADHANI	587	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	AGG	10	15000.00
			587		SAND	5	7750.00
30	MNREGA	C/O PATH DHARM SINGH HOUSE TO WELL SIDE JIJWIN 02	527	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	SAND	3.5	5425.00
			527		AGG	2.5	3750.00
			528		AGG	7	10500.00
			515		AGG	6	9000.00
			515		SAND	5.54	8600.00
31	MNREGA	C/O PATH WITH PAVER BLOCK FORM BIRBAL SHOP TO WELL SIDE VILL BADHANI 6	543	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	AGG	11.4	17100.00
					SAND	12	18600.00
32	MNREGA	C/O PATH WITH PAVER BLOCK NEAR THE HOUSE OF KAMLA DEVI HOUSE TO ROSHAN LAL HOUSE VILL JIJWIN 1	588	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	AGG	10	15000.00
					SAND	10	15500.00
33	MNREGA	C/O PATH WITH P/BLOCK SANJEEV KUMAR HOUSE TO SAROJ KUMRAI HOUSE SIDE VILL DOH 4	17	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	SAND	3.75	5812.00
			4		AGG	3.42	5130.00
			9		AGG	3.42	5130.00
			1		AGG	3.42	5130.00
			2		SAND	3.12	4836.00
34	MNREGA	C/O PATH MAIN ROAD MANOHAR LAL SHOP TO WELL SIDE VILL JIJWIN 2	590	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	AGG	13	19500.00
			590		SAND	7	10850.00
35	MNREGA	C/O SARVJANIC TALAI VILL DOH 3	524	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	AGG	5.68	8524.00
			521		SAND	5.49	8524.00
			516		AGG	5.68	8524.00
			576		AGG	15	22500.00
			559		AGG	5.65	8475.00
			561		SAND	4.4	6820.00
			566		AGG	5.65	8475.00
			566		SAND	5.65	8757.00
			569		SAND	5.65	8757.00
			571		AGG	5.65	8475.00
			570		AGG	5.65	8475.00
			573		AGG	5.65	8475.00

Secretary
Gram Panchayat Badhani
Block Bamsan Tauni Devi
Distt. Hamirpur (H.P.)

			573		SAND	5.65	8757.00
			572		SAND	5.65	8757.00
			574		CUT STONE	19	19950.00
			575		CUT STONE	15	15750.00
36	MNREGA	C/O Prot.Wall Leela Devi W/O Suhadu Ram Jijwin	514	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	SAND	6	9200.00
			513		AGG	5.87	8808.00
37	MNREGA	C/O P/WALL NAND LAL S/O HARIMAN VPO BADHANI	523	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	SAND	6	9180.00
			519		AGG	5.89	8840.00
38	MNREGA	C/O P/WALL DUNI CHAND S/O SURJAN RAM DOH	520	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	AGG	6	9000.00
					SAND	5.11	7926.00
39	MNREGA	C/O P/WALL PRITTAM CHAND S/O AMAR SINGH VILL DOH	518	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	AGG	6	9000.00
					SAND	5.16	8000.00
40	MNREGA	C/O P/WALL MANOHAR LAL S/O SUKH RAM VILL JIJWIN	517	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	AGG	6	9000.00
					SAND	5.11	7926.00
44	VKVNY	C/O SARIA BHAWAN AND TOILET AND BATHROOM NEAR SHIV MANDIR DOH 3	526	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	SAND PLANT	5	12500.00
45	VKVNY	C/O SARIA BHAWAN NEAR RAVI DASS TEMPLE BADHANI	177	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	SAND	5.62	14050.00
			178		SAND	5.62	14050.00
			173		SAND	3.12	7800.00
			159		AGGREGATE	3.42	5130.00
			158		SAND	3.12	7800.00
			125		SAND	3.12	4836.00
			121		SAND	3.12	4836.00
			127		SAND	3.12	4836.00
			166		AGGREGATE	3.42	5130.00
			175		AGGREGATE	3.42	5130.00
			176		AGGREGATE	3.42	5130.00
			180		AGGREGATE	3.42	5130.00
			182		AGGREGATE	3.42	5130.00
			183		AGGREGATE	3.42	5130.00
			184		AGGREGATE	3.42	5130.00
			153		AGGREGATE	3.42	5130.00
			162		AGGREGATE	3.42	5130.00
			219		SAND	5.62	14050.00
			82		SAND	5.62	14050.00
46	SDP	C/O PATH AND R/WALL SITA RAM HOUSE TO GIAN CHAND HOUSE VILLAGE GADOLA	143	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	SAND	3.12	4836.00
			187		AGGREGATE	3.42	5130.00
			139		SAND	3.12	4836.00
			185		AGGREGATE	6.16	9240.00
			Total				**1202100.00**

28

परिशिष्ट 5 पैरा संख्या 8.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत बधानी, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर

(जी.एस.टी.टी.डी.एस.) की वसूली न करने वारे (01.04.2024 से 31.03.2025)

क्रम संख्या	वर्ष	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	कुल राशि (₹)	जी.एस.टी.(टी.डी.एस.) की कटौती राशि (₹)
1	01-04-2024 to 31-03-2025	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	Sand,Aggregate, cut stone and shuttering	1297854	25957.08
2		Sanjay Traders VPO AwahDevi, Hamirpur	GI Sheet,Tor Steel, Angle etc	257570	5151.40
कुल योग				1555424	31108.48

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Badhani
Block Bamsan Tauni Devi
Distt. Hamirpur (H.P.)

२५

27

परिशिष्ट 6 पैरा संख्या 9.1 में संदर्भित								
ग्राम पंचायत बधानी, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर								
पत्थर की खरीद में रिक्तियों (voids) की कटौती न करने वारे								
क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	फार्म का नाम एवं पता	सामान का विवरण	मात्रा घन मीटर	कुल भुगतान (₹)	कटौती दर %	रिक्तियां (Voids)(₹)
1	MNREGA	C/O LINK ROAD MANGO TREE TO SUDAMA RAM HOUSE GADOLA	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	STONE	18	18900.00	12.5	2362.50
2	MNREGA	C/O SARVJANIC TALAI VILL DOH 3	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	STONE	19	19950.00	12.5	2493.75
3	MNREGA	C/O SARVJANIC TALAI VILL DOH 3	Ashwani Kumar and Sons VPO Barara, Hamirpur	STONE	15	15750.00	12.5	1968.75
Total						**54600.00**	12.5	**6825.00**

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Badhani
Block Bamsan Tauni Devi
Distt. Hamirpur (H.P)

9.2

<table>
<tr><td colspan="5">परिशिष्ट 7 पैरा संख्या (9.3) में संदर्भित</td></tr>
<tr><td colspan="5">ग्राम पंचायत बधानी, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर</td></tr>
<tr><td colspan="5">1. निर्माण कार्य का नाम :- निर्माण सराइन भवन नजदीक शिव मंदिर डोह
निधि का नाम -मनरेगा</td></tr>
<tr><td colspan="5">स्वीकृत राशि -500000 /-</td></tr>
<tr><td colspan="5">कुल खर्च राशि - 497000 /-</td></tr>
<tr><td>मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या</td><td>मद का नाम</td><td>मात्रा (घन मीटर)</td><td>रूपांतरण कारक</td><td>टाइल कार्य वर्ग फिट</td></tr>
<tr><td>MB-3418
72,69,71,</td><td>टाइल कार्य
2 x 2 (16 वर्ग फिट प्रति बॉक्स)</td><td>45.5</td><td>10.76</td><td>489.58</td></tr>
<tr><td colspan="4">Total</td><td>489.58</td></tr>
<tr><td colspan="4">बिल संख्या-66 के अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा</td><td>560</td></tr>
<tr><td colspan="4">अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री (वर्ग फिट)(70/16=4.375 बॉक्स</td><td>4.375(BOX)</td></tr>
<tr><td colspan="4">क्रय दर</td><td>750</td></tr>
<tr><td colspan="4">अधिक भुगतान (4.37 x 750)</td><td>3281.25</td></tr>
<tr><td colspan="4">अधिक भुगतान राशि</td><td>3281.25</td></tr>
<tr><td colspan="4">कुल योग</td><td>3281/-</td></tr>
</table>

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Badhani
Block Bamsan Tauni Devi
Distt. Hamirpur (H.P)

परिशिष्ट 8 पैरा संख्या 9.3 में संदर्भित					
ग्राम पंचायत बधानी, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर					
बिना बिल के भुगतान करना					
क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	दिनांक	कार्य का नाम	संस्था का नाम	राशि (₹)
1	VKVNY	19.07.24	C/o sarain bhawan near shiv temple badhani	Electricity wk	7600
2	VKVNY	29.12.24	C/o sarain bhawan near ravidas temple badhani	labour	35000
Total					**42600**

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Badhani
Block Bamsan Tauni Devi
Distt. Hamirpur (H.P.)

परिशिष्ट 9 पैरा संख्या 9.4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत बधानी, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर

औपचारिकताएं पूर्ण किए विना किया गया क्रय

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए	राशि (₹)
1	Own Sources	office expenses	14.08.24	Microcom infotech main bazar Tarkwari hamirpur	LCD	6608
2	Own Sources	office expenses	14.08.24	Microcom infotech main bazar Tarkwari hamirpur	Laptop battery	5078
3	VKVNY	C/o sarain bhawan near ravidas temple badhani	18.05.24	M/s hill top timber depot, tarkwari, hamirpur	wooden	80000
4	VKVNY	C/o sarain bhawan near ravidas temple badhani	18.05.24	M/s hill top timber depot, tarkwari, hamirpur	wooden	80000
5	VKVNY	C/o sarain bhawan near ravidas temple badhani	870 06.07.24	sanjay traders Tarkwari, hamirpur	hardware and painting wk	9336
6	MNREGA	C/o sarain bhawan near ravidas temple badhani	353 15.05.24	sanjay traders Tarkwari, hamirpur	TMT	49331
7	MNREGA	C/o sarain bhawan near ravidas temple badhani	395 15.05.24	sanjay traders Tarkwari, hamirpur	aint and brus	8990
8	MNREGA	C/o cow shed of suresh kumar s/o dinaa nath	4183 30.08.24	Soni Hardware and cement store bhakredi, hamirpur	iron	16986
Total						256329

anchayat Secretary
Gram Panchayat Badhani
Block Bamsan Tauni Devi
Distt. Hamirpur (H.P

परिशिष्ट 10 पैरा संख्या 9.5 में संदर्भित			
ग्राम पंचायत बधानी, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर			
माप पुस्तिका प्रस्तुत न करने बारे			
क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	राशि (₹)
1	VKVNY	C/o sarain bhawan near gururavidas temple,badhani	635051
2	MNREGA	C/o community wall vill jijwin	36387
Total			**671438**

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Badhani
Block Bamsan Tauni Devi
Distt. Hamirpur (H.P)

परिशिष्ट 11 पैरा संख्या 9.6 में संदर्भित

ग्राम पंचायत बधानी, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर

नकद भुगतान करने वारे

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)
1	Own Sources	Office expences	18.01.25	Sai indiane gas service bhoranj	Gas	1955.00
2	Own Sources	Office expences	18.01.25	BSNL hamirpur	Telephone bill	1202.00
3	Own Sources	Office expences	15.01.25	Microcom Infotech, bazar Tarkwari, hamirpur	AC Adopter	2520.00
			Total			**5677.00**

anchayat Secretary
Gram Panchayat Badhani
Block Bamsan Tauni Devi
Distt. Hamirpur (H.P

35